

डिकी व मुकदमें इत्दादाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जादी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी

प्रीतारभौन अधिकारी :- भीनू वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:-/37/2019

(1) राजेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

(वादी)

:-बनाम:-


(1) राजेन्द्र कुमार पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

(प्रतिवादी)

आज यह वाद मुझ भीनू वर्मा आर0ए0एस सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी के समक्ष श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की हाजिरी में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद डिकी किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी आराजी चक न0 14 जीजीआर जमांबदी सम्वत 2075 से 2078 के खाता स0 70/75 में दर्ज 7.337 हे0 नहरी मय गै0मु0 खाला रास्ता में से प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की आराजी में वादी को 2.0240 हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक श्रण की स्थिती में रहन मुवत होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुक्लिक.....निल.....बाबत.....
निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक.....अदा करे।

डिकी आज दिनांक 3-9-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी (भीनू वर्मा)
टिब्बी